मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 262 दिनांक– 14/2/17

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / अधिष्ठाता,
निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त (एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम संचालित) चिकित्सा शिक्षा संस्थाएं मध्यप्रदेश।

विषय– प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के सत्र 2017–18 एवं 2018–19 के शुल्क के पुर्नविनियमन / विनियमन के संबंध में।

संदर्भ– 1. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 210 दिनांक 02.02.2017.
2. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 188 दिनांक 30.01.2017.

***

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली गैर अनुदान प्राप्त संस्थाएं जिनका आगामी दो सत्र अथार्त् **2017–18 एवं 2018–19** के शुल्क का पुर्नविनियमन / विनियमन किये जाने हेतु समिति, सचिवालय द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 04.02.2017 से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

इस संबंध में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी भरे जाने में हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों को माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं दिये गये निर्देशानुसार संस्थाओं के द्वारा किये गये अनुरोध के अनुरूप ऑनलाईन फार्म भरने की तिथि को दिनांक 28.02.2017 तक बढ़ाया जाता है। संस्थाएं उक्त संशोधित अंतिम तिथि तक ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से नीचे दर्शाये गये निर्देशों के अनुरूप फार्म भरने की कार्यवाही पूर्ण करें :–

1. पूर्व में अर्थात् सत्र 2016–17 के शुल्क विनियमन हेतु जिन संस्थाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 से संबंधित जानकारी समिति, सचिवालय के वेबपोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, उन्हें उक्त जानकारी पुनः भरने की आवश्यकता नहीं है।
2. अपितु कंडिका–1 से संबंधित संस्थाएं वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के संबंध में पूर्व में भरी गई जानकारियों में संशोधन करना चाहती हैं तो वे संशोधित जानकारियों का पी.डी.एफ. / जे.पी.जी. में स्केन कर इनकी प्रतियाँ समिति, सचिवालय के वेबपोर्टल में अपलोड कर सकती हैं।
3. सत्र 2017–18 के शुल्क विनियमन से संबंधित जानकारियाँ वेबपोर्टल पर अपलोड कर प्रस्ताव की हार्डकॉपी के साथ कंडिका–2 में अपलोड की गई जानकारी की हार्डकॉपी (परिशिष्ट के रूप में) इस सचिवालय में जमा करना आवश्यक है।

संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप संस्था दिनांक 28.02.2017 तक ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्मा अपलोड कर, भरे हुये प्रोफार्मा के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर दिनांक 02.03.2017 तक समिति, सचिवालय में आवश्यक रूप से जमा करना है।

उपरोक्त दर्शाई तिथियों के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों को समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा एवं एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संभावित है।

N-K-Sharma 14/02/17
(डॉ. एन.के.शर्मा)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी / सचिव

पृ.क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 263 दिनांक – 14/2/17

प्रतिलिपि–1. माननीय अपीलीय प्राधिकारी महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

N-K-Sharma 14/02/17
(डॉ. एन.के.शर्मा)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी / सचिव